न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

मिसल नं. 2/63/2022 तारीख रजू 08.03.2022

श्यौपाल बनाम प्रकाश वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.03.2022	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकील सायला ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी हाल पेश कीं व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया । प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के, पक्ष में बखूबी सावित है। अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी खसरा नं0 916, वाके ग्राम सालवाडी तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात मौके की यथास्थिति वनायें रखे। चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किंया जा रहा है ऐसे में अप्रार्थी में सें किसी के उपस्थित होकर वहस के लिऐ कहने पर वकिल प्रार्थीगण को अनिवार्यत बहस करनी होगी, अन्यथा एक्सपार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावें। अप्रार्थीण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोइ उज्र हो तो दिनांक 24.03.2022 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थी जरिये रजि0 डाक नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 24.03.2022 को वास्ते तलबी अप्रार्थी पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
24.3.22	[illegible] पत्रावली तारीख 25/3/22 को पेश हो।	
25/3/22	पत्रावली मूल वाद के साथ पेश हुई वकील प्रार्थी ने मूल वाद को स्वयं खारिज करा लिया है अतः प्रार्थना पत्र चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है अतः प्रा० पत्र अस्थाई भी खारिज किया जाता है पत्रावली [illegible] होकर [illegible] वाद [illegible] के साथ शामिल रहे [illegible] उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	